न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायालय–सह–विशेष न्यायालय,सीवान।

बसंतपुर (लकड़ी नवीगंज ओ.पी.) थाना कांड सं. 140/2021

07.09.2021 बसंतपुर (लकड़ी नवीगंज ओ.पी.) थाना कांड सं. 140/2021 अंतर्गत धारा 341,323,325,427,379,354,448/34 भा.द.वि. एवं धारा 3(1)(r)(s) अनु.जा.ज.जा. (अ.उ.) अधिनियम के काराधीन अभियुक्त दीपक साह की ओर से दाखिल जमानत आवेदन पर वाट्सएप्प के माध्यम से सुनवाई करतें हुए इनके विद्वान अधिवक्ता श्री विमलेन्दु शेखर एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री भागवत राम तथा सूचक एवं मामले के जख्मीं एवं उनके अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख तथा कांड दैनिकी का अवलोकन किया।

प्राथमिकी के अनुसार सूचिका राधा देवी का मुख्य रूप से आरोप है कि दिनांक 01.04.2021 को शाम 07:00 बजे इनके पुत्र अजय कुमार को मारने को लेकर पूछताछ करने पर ग्रामीण सुनिल साह, श्री भगवान साह, रितेश साह, रुपेश साह पे0 महेश साह, मुन्ना साह, अच्छेलाल साह, विशाल साह, नागेन्द्र साह, सुनिल साह, रुपेश साह पे0 बुटन साह, धर्मेन्द्र साह, दीपक साह, रीना देवी, सीता देवी, महेश साह, बुटन की पत्नी नाम नामालुम एवं विजय साह उक्त सभी लोग अपने हाथ में लाठी डण्डा लेकर आये और आते ही जाति विशेष गाली देते हुए उक्त सभी लोग इनके पति को जान मारने की नियत से लाठी से मारने लगे जिससे उनके पति के शरीर पर काफी चोट लगी तथा सीने की पसली की हड्डी क्रेक हो गया। जब सूचिका एवं उनके बच्चों द्वारा बचाने का प्रयास किया गया तो सभी लोगों को उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा जान मारने के नियत से लाठी डण्डा से पूरे शरीर पर मारे जिससे सूचिका का सर फूट गया। हल्ला होने पर लोगों के जुटने से उक्त सभी लोग जाति का नाम लेते हुए शरीर पर थूक दिये तथा मोबाइल कीमत लगभग 10,000/रुपया छींन लिये जिसका मोबाईल नंबर 6205078842 है तथा भयंकर परिणाम भुगतने की धमकी देकर चले गये जिसकी सूचना सूचिका ने स्थानीय थाना को दी तथा थाना से लौटने पर रात 12.00 बजे पुनः उक्त लोग जातिसूचक शब्द का सम्बोधन करते हुए घर लूटने की बात कहे और विरोध करने पर सभी महिलायें इनका लोन का 30 हजार रूपया बक्सा तोड़कर निकाल लिये तथा अन्य अभियुक्तगण गलत नियत से सूचिका का साड़ी वलाउज फाड़कर अर्द्धनग्न कर दिये और घर में तोड़फोड़ किये जिससे 30 हजार रूपया का नुकशान हुआ।सूचिका के अनुसार उपरोक्त लोग पूर्व में भी कई बार इसी तरह का कृत्य कर चुकें है।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्त निर्दोष है तथा इसने कोई अपराध नहीं किया है। इनका यह भी तर्क है कि घटना दिनांक 01.04.2021 को बतायी गयी है जब कि इसकी प्राथमिकी दिनांक 16.04.2021 को विलम्ब से दर्ज करायी गयी है और विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। इनका यह भी तर्क है कि प्राथमिकी

में आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध जातिसूचक गाली गलोज कर मारपीट करने अथवा सूचिका को अर्द्धनग्न करने या चोरी करने का कोई स्पष्ट आरोप नहीं है। ऐसी स्थिति में आवेदक के विरूद्ध धारा 354,379 भा.दं.वि. अथवा विशेष अधिनियम का कोई मामला नहीं बनता है तथा अन्य आरोपित धारायें जमानतीय है। इनका यह भी तर्क है कि जिस तरह की घटना बतायी गयी है वैसी कोई घटना घटित नहीं हुई है। आवेदक का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है और वे दिनांक 28.08.2021 से कारा में है। मामला पक्षों के बीच राजी खुशी से संधि कर लिया गया है। लिखित संधि पत्र आवेदन के साथ दाखिल है। अतः उक्त के आलोक में जमानत का लाभ देने की प्रार्थना करते है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया तथा तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त हैं तथा इसके विरूद्ध सह अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचिका एवं उसके पति को जातिसूचक गाली गलौज कर मारपीट करने तथा मुकदमा करने के पश्चात पुनः सूचिका को घेर कर उसे जातिगत गाली देते हुए गलत नियत से साड़ी वलाउज फाड़कर अर्द्धनग्न करने एवं 30 हजार रूपया नगद लेने एवं उसके घर में तोड़ फोड़ कर क्षतिग्रस्त करने का आरोप है। अतः उक्त के आलोक में जमानत आवेदन को खारिज करने की प्रार्थना करते है। परन्तु इनके द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया गया कि मामला सूचक द्वारा संधि कर लिया गया है और सूचक एवं सूचकपक्ष के जख्मीं द्वारा जमानत आवेदन पर कोई विरोध नहीं प्रकट करते है।

सूचक, सूचकपक्ष के जख्मीं उपस्थित हुए जमानत आवेदन पर कोई विरोध नहीं प्रकट किये तथा कथन किये कि पक्षों के बीच में सिर्फ बाता–बाती हुई थी और मामले में किसी को गंभीर जख्म नहीं कारित हुआ था हल्का चोट लगा था।

उपरोक्त तर्कों, तथ्यों, परिस्थितियों, आवेदक अभियुक्त पर जाति सूचक गाली गलौज एवं चोरी का स्पष्ट एवं विशिष्ट आरोप नहीं होने, पक्षों के बीच में आपस में मुकदमाबाजी होने, प्राथमिकी विलंब से दर्ज कराने और विलंब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दर्शाने, जमानत आवेदन की कंडिका 10 में किया गया कथन कि आवेदक अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं होने, आवेदक के काराधीन होने को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त आवेदक अभियुक्त को मो0 10,000/रुपये के बंधपत्र और इतनी ही राशि के दो प्रतिभू निष्पादित करने पर इन्हें जमानत पर मुक्त करने की प्रार्थना करते है।

लेखापित

ह0/

विशेष न्यायाधीश, सीवान